

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 206/18

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019

निर्णय दिनांक : 18.03.2019

राजस्थान सरकार

बनाम

भंवरलाल, गोर्धनराम, जिमनाराम

जेठूराम पिता सुण्डाराम

जाति स्वामी नि0 पांचवा

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भंवरलाल पुत्र सुण्डाराम जाति स्वामी वगैरह निवासीयान पांचवा नें ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 270 कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर में से रकबा 0.0240 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में कच्चा बाड़ा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये गये। नोटिसों की प्रतिया अप्रार्थीगण गोर्धन ने प्राप्त किये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहै।


अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थीगण का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि अप्रार्थीगण ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

अप्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थीगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज



तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर

खसरा नम्बर 270 कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर गै.मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.0240 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थीगण पर लगान 0.12 का पच्चास गुणा से राशि 6/- अक्षरे छः रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(महलीर प्रसाद राम)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर -राज0

माँग कायमी रा.ले.स.-4
क्र.पृष्ठ संख्या 22
वर्ष 2018-19
रा.जुर्माना —
क.निलामा —
गोचर जुर्माना 06
प्रा.पैदावार —


तराले कुचामन सिटी